## PREZ BIDEN SIGNS THE BILL

# US shutdown averted, with funding bill rushed by Senate

### Gets overwhelming approval in the House of 366-34

**ASSOCIATED PRESS** Washington, December 21

FACING A GOVERNMENT shutdown deadline, the Senate rushed through final passage early Saturday of a bipartisan plan that would temporarily fund federal operations and disasteraid, dropping Presidentelect Donald Trump's demands for a debt limit increase into the new year.

House Speaker Mike Johnson had insisted Congress would "meet our obligations" and not allow federal operations to shutter ahead of the Christmas holiday season. But the day's outcome was uncertain after Trump doubled down on his insistence that a debt ceiling increase be included in any deal — if not, he said in an early morning post, let the closures "start now."

The House approved Johnson's new bill overwhelmingly, 366-34. The Senateworked into the night to pass it, 85-11, just after the deadline. At midnight, the White House said it had ceased shutdown preparations. "This is a good outcome for the country," Johnson said after the House vote, adding he had spoken with Trump and the president-elect "was certainly happy about this outcome, as well."


### **PLAN PASSED**

Plan to temporarily fund federal operations, disaster aid

Trump's demands for a debt limit increase into the new year dropped

Package to fund at current levels through March 14

Adds \$100 bn in disaster aid, \$10 bn in agricultural assistance to farmers



## **Passes social security** benefits boost for retirees

THE SENATE PASSED legislation early Saturday to boost social security payments for millions of people, pushing a longtime priority for former public employees through Congress in one of its last acts for the year. It will eliminate longtime reductions to social security benefits for nearly 3 million people who receive pensions from work in federal, state and local govern-

ment, or public service jobs

President Joe Biden, who has

police officers. Advocates say the Social

like teachers, firefighters and

Security Fairness Act rights a decades-old disparity, though it will also put further strain on Social Security Trust Funds. The legislation has been decades in the making but the push to pass it came together in the final weeks that lawmakers were in Washington before Congress resets next year.

mentshutdown."Senate Major-

played a less public role in the ity Leader Chuck Schumer process throughout a turbulent said.The final product was the week, has signed the measure third attempt from Johnson, the beleaguered House speaker, to into law Saturday. "There will be no governachieve one of the basic require-

ments of the federal government — keeping it open. And it raised stark questions about whether Johnson will be able to keep his job, in the face of angry GOP colleagues, and work alongside Trump and billionaire ally Elon Musk, who called the

legislative plays from afar.

Trump's last-minute demand was almost an impossible ask, and Johnson had almost no choice but towork around his pressure for a debt ceiling increase. The drastically slimmed-down 118-page packagewould fund the government at current levels through March 14 and add \$100 billion in disasteraidand \$10 billion in agricultural assistance to farmers. Gone is Trump's demand to lift the debt ceiling, which GOP leaders told lawmakers would be debated as part of their tax and

border packages in the new year.



## Maharashtra portfolios: CM keeps home; Pawar gets finance

PRESS TRUST OF INDIA Nagpur, December 21

MAHARASHTRA CHIEF MINIS-TER Devendra Fadnavis on Saturday allocated portfolios to his council of ministers, retaining the crucial Home department with him. Fadnavis will also handle energy, law and judiciary, general administration department and information and publicity departments, an official statement said. Deputy CM Eknath Shinde has been allocated urban development, housing and public works department (public enterprises).

Ajit Pawar, another deputy CM, got finance and planning, state excise. The portfolios were allocated after the weeklong winter session of the state legislature ended earlier in the day. As many as 39 ministers had been sworn in on December 15, before the start of the session, while Fadnavis and his two deputies had taken the oath of office on December 5. The Mahayuti alliance of

swept the November 20 assembly elections, winning 230 of 288 seats. Portfolios allocated to BJP ministers are— Chandrashekhar Bawankule (revenue), Radhakrishna Vikhe Patil (water resources-Krishna Godavari Development corporation), Chandrakant Patil (higher and education, technical parliamentary affairs), Girish Mahajan (water resources-Vidarbha , Tapi, Konkan Development Corporation and Disaster Management).

the BJP, NCP and Shiv Sena

# Film fest raises toast to women, Kerala hopes industry follows

**FAIZAL KHAN** Thiruvananthapuram, December 21

WHEN SHE SET out to direct her first feature film, Adithya Baby had an army of university classmates as her cast and crew. The familiarity of friends ensured that the production of Kamadevan Nakshatram Kandu (Cupid Saw the Star), the Malayalam language film screened at the just-concluded International Film Festival of Kerala (IFFK), was a safe workplace for everyone. Many more women professionals in the Malayalam film industry are hoping it would be the same for them too, even without a close circle of friends.

The 29th edition of IFFK

(December 13-20), held after the much-delayed release of the Justice Hema Committee report on sexual harassment in the film industry in Kerala three months ago, has kept the focus on women in cinema with a female-centric programming this year. However, the symbolic gesture does little to assuage the grieved. With justice for the unnamed survivors in the redacted report still undelivered, calls for action against the perpetrators of violence against women in Malayalam cinema are getting louder in the southern state. "The Hema Committee report has made a serious impact not only on the Malayalam film industry, but also in other states. It has shaken the old order of power and patriarchy," says Fowzia Fathima, cofounder of the 120-member Indian Women Cinematographers' Collective. "The next generation has taken note of how better the environment can be at the workplace," adds Fathima.

The counterparts of Kerala women film professionals in other major film-producing states also await a credible outcome of the Hema Committee report. The first such govern-



actor Anasuya Sengupta, cinematographer Fowzia Fathima & actor Kani Kusruti at the International Film Festival of Kerala

ment-initiated probe in the Indian film industry, the committee is expected to help create a model for safety at workplace in Indian cinema.

Women's rights activists and collectives in cinema attribute a direct relation to violence against women to the lack of opportunities for them in the industry. Implementation of the Justice Hema Committee report, women professionals in Kerala say, should include education and awareness of workplace rules, particularly the POSH Act, through work-

shops for male and female professionals, formation of internal complaints committees, employment of more women technicians and 50:50 representation.

Many in the Malayalam film industry are cautious about the outcome. "There is a danger of lip service in the notion of equality," warns Fathima. "The report shouldn't get brushed under the carpet. Strict action is necessary if you want change," says Subhadra Mahajan, whose debut feature film, Second Chance, was part of the Indian Cinema Now at the festival.

Malayalam director Ranjith, the chairman of the Kerala Chalachitra Academy which organises the IFFK, resigned after he was accused of inappropriate behaviour by an actor. Ranjith was among five people, including actors Jayasurya and Mukesh, against whom cases have been registered by the police. None of them was available for comments to FE.

"The men openly accused of sexual harassment should face action. They shouldn't get away with it to set an example and send the right message," says Mahajan, the co-writer of the 2015 film, Angry Indian Goddesses. "We need an equal number of women working in the Indian film industry to achieve gender equality," she says, adding women in the film industry are traumatised everyday at the workplace by demeaning comments, sexist and sexual jokes and bodyshaming.

"We selected more and more films from female direc tors this year," says Golda Sellam, the curator of IFFK, adding: "In France, there is a 50:50 movement that protects female professionals at their work. During shooting, now there is a coach who is watching and preparing any female in an intimate scene to ensure there is no abuse. The coach is a trained psychology professional who is a safeguard against intrusions against female actors. We need that here too."

## WINTER SOLSTICE CELEBRATIONS



pagans, druids and people simply yearning for the promise of spring marked the dawn of the shortest day of the year at the ancient Stonehenge monument on Saturday. Revelers cheered and beat drums as the sun rose over the giant standing stones on the winter solstice the shortest day and the longest night in the Northern Hemisphere. No one could see the sun through the low winter cloud, but that did not deter a flurry of drumming, chanting and singing as dawn broke

Thousands of tourists,

# **AAP rejects** claims of nod to prosecute



PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, December 21

**AAM AADMI PARTY** leaders in Delhi, including chief minister Atishi, on Saturday rejected claims that Lieutenant Governor VK Saxena has granted sanction to the Enforcement Directorate to prosecute party supremo Arvind Kejriwal in the alleged excise policy scam. While no formal reaction was immediately available from the lieutenant governor's (LG) office on the issue, sources in the Enforcement Directorate (ED) said it is yet to receive the sanction to prosecute Kejriwal in the excise policy case linked to money laundering.

"Reports of ED getting

prosecution sanction (against Kejriwal) are false. Had the LG granted prosecution sanction, why isn't the ED showing its copy," senior AAP leader Manish Sisodia, who was also an accused in the excise policy case, asked in a statement. This is nothing but an attempt to divert attention from the "disrespect" shown by the BJP to Babasaheb Ambedkar, Sisodia alleged. Atishi claimed reports about LG granting prosecution sanction are being spread solely to "mislead people and divert attention from real issues".

#### GENERIC ENGINEERING CONSTRUCTION AND PROJECTS LIMITED Regd Off.: 201 & 202, Fitwell House, 2nd Floor, Opp Home-Town, LBS Road, Vikhroli (West), Mumbai - 400083. Maharashtra, India

CIN: L45100MH1994PLC082540, Phone No: 9167720671/022-25780272 Website: <a href="www.gecpl.com">www.gecpl.com</a>, Email Id: <a href="mailto:geninfo@gecpl.com">geninfo@gecpl.com</a>, EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024 (Rs. In Lakhs except per share data) Half vear ended Year Ended

**Quarter Ended** 

	Particulars Particulars	30-09-2024 (Unaudited)	30-09-2023 (Unaudited)	30-09-2024 (Unaudited)	30-09-2023 (Unaudited)	31-03-2024 (Audited)
ſ	Total Revenue	5,181.61	3,987.51	10,274.32	9,337.78	29,330.52
ı	Total Expenses	4,880.51	3,668.01	9,716.40	8,788.54	28,205.20
ı	Profit / (Loss) before tax	301.09	319.50	557.92	549.24	1,125.32
ı	Profit / (Loss) after tax	214.92	321.68	410.81	528.01	1,114.20
ı	Total Comprehensive Income	214.92	321.68	410.81	528.01	1,126.47
ı	Equity Share Capital	2,849.31	2,651.81	2,849.31	2,651.81	2,651.81
ı	Basic Earning per Equity Share	0.41	0.60	0.77	1.04	2.12
L	Diluted Earning per Equity Share	0.37	0.55	0.70	0.94	1.93

Place: Mumbai

Date: 20-12-24

1) The above results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("IND AS") notified under section 133 of the Companies Act, 2013 read together with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015.

The above is an extract of the detailed format of Standalone financial results for the guarter and half year ended September 30, 2024, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The full format of the Quarterly Financial Results is available on the websites of the Stock Exchange and the Company. (http:// /www.bseindia.com, https://www.nseindia.com/and www.gecpl.com

For and on Behalf of the Board of Directors of Generic Engineering Construction And Projects Limited SD/-SD/-**Manish Patel** Jayesh Rawal Place: Mumbai **Managing Director** Director Date: 20-12-24 DIN: 00195878 DIN: 00464313

## GENERIC ENGINEERING CONSTRUCTION AND PROJECTS LIMITED

Regd Off.: 201 & 202, Fitwell House, 2nd Floor, Opp Home-Town, LBS Road, Vikhroli (West), Mumbai - 400083. Maharashtra, India CIN: L45100MH1994PLC082540, Phone No: 9167720671/022-25780272 Website: <a href="www.gecpl.com">www.gecpl.com</a>, Email Id: <a href="mailto:geninfo@gecpl.com">geninfo@gecpl.com</a>, EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024 (Rs. In Lakhs except per share data)

(113.111 Ed.				ikiis except pei	ondio data)
	Quarter Ended Year Ended				
Particulars	30-06-2024 (Unaudited)	30-06-2023 (Unaudited)	31-03-2024 (Audited)	31-03-2024 (Audited)	31-03-2023 (Audited)
Total Revenue	5092.72	5350.27	14113.18	29330.52	27391.22
Total Expenses	4835.88	5120.52	13735.35	28205.20	25387.48
Net Profit / (Loss) before tax	256.83	229.75	377.82	1125.32	2003.74
Net Profit / (Loss) after tax	195.90	206.34	432.95	1114.20	1531.12
Other Comprehensive Income	-	-	12.28	12.28	2.56
Total Comprehensive Income for the period (after tax)	195.90	206.34	445.22	1126.47	1533.68
Equity Share Capital ( Paid up)	2651.81	2651.81	2651.81	2651.81	2651.81
Basic Earning per Equity Share (Rupee)	0.37	0.39	0.84	2.12	3.58
Diluted Earning per Equity Share (Rupee)	0.33	0.48	0.76	1.93	3.54

Note:-The above results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("IND AS") notified under section 133 of the Companies Act, 2013 read together with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015.

The above is an extract of the detailed format of Standalone financial results for the quarter ended June 30, 2024 and Annual Result for the year ended March 31, 2024, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure

Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the websites of the Stock Exchange and the Company. (http:// www.bseindia.com, https://www.nseindia.com/and www.gecpl.com).

For and on Behalf of the Board of Directors of **Generic Engineering Construction And Projects Limited** Jayesh Rawal Manish Patel **Managing Director** Director DIN: 00195878

DIN: 00464313



#### **APL APOLLO TUBES LIMITED** CIN: L74899DL1986PLC023443

Registered Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi -110092 Corporate Office: SG Centre, Plot No. 37-C, Block-B, Sector-132, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar, U.P.-201304 Tel.: 91-120-6918000 Email: investors@aplapollo.com Website: www.aplapollo.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT Members are hereby informed that pursuant to the provisions of section 108 and 110 and

other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (cumulatively "Act") Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meeting issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2") and other applicable laws and regulations, if any, including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, APL Apollo Tubes Limited ("the Company") is seeking approval from its Members for passing of Special Resolution as set out in the Postal Ballot Notice dated October 29, 2024 ("Postal Ballot Notice") by way voting through electronic means ("evoting/remote e-voting")

In terms of relevant provisions of the Act and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs, inter-alia, for conducting Postal Ballot process through e-voting vide General Circulars Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13 2020 read with other relevant circulars issued in this regard, the latest being General Circular No. 09/2024, dated September 19, 2024 (collectively referred to as "MCA Circulars"), the process of sending Postal Ballot Notice along with the instructions regarding remote e-voting ONLY in electronic form to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Transfer Agent ('RTA')/Depositories and whose names appear in the Register of Members/list of Beneficial Owners as on December 13, 2024 ("Cut-off Date"), has completed on December 21, 2024. Accordingly, physical copies of Postal Ballot Notice and Postal Ballot forms are not being sent to the members. The Notice is also available on Company's website www.aplapollo.com), Stock Exchanges' website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and Central Depository Services (India) Limited ('CDSL')'s website

Members may also note that in compliance with the above MCA Circulars, the ommunication of assent/dissent of the members on the resolution proposed in Postal Ballot Notice will only take place through the remote e-voting system.

All the Members are hereby informed that:

 a) The e-voting period shall commence on Monday, December 23, 2024 at 10:00. A.M.(IST) and end on Tuesday, January 21, 2025 at 5:00 P.M.(IST) for all the shareholders, whether holding shares in physical form or in demat form. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said time and date.

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Friday. December 13, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. The Notice is being sent to all the Members, whose names appear on the Register of

Members/Record of depositories as on Friday, December 13, 2024. A person who is not a member on the cut-off date should accordingly treat the Postal Ballot Notice as for information purposes only. (d) The Company has appointed Shri Jatin Gupta, Practising Company Secretary

(Membership No.: FCS 5651: COP No.: 5236), as scrutinizer for conducting the entire postal ballot process by way of remote e-voting in a fair and transparent manner. The results of the Postal Ballot/e-voting will be declared on or before January 23,

2025. The results alongwith scrutinizer's report shall be placed on the website of the Company and on the website of the CDSL and communicated to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed. fembers holding shares in electronic form and who have not updated their email or KYC

details are requested to register/update the details in their demat account, as per the process advised by their Depository Participant. Members holding shares in physical form who have not updated their email or KYC details are requested to register/update the said details in the prescribed form ISR - 1 with Registrar and Share Transfer Agent of the Company, M/s Abhipra Capital Ltd. Members can access the relevant forms on the Company Website at https://aplapollo.com/downloads

f you have not registered your email address with Company/Depository, you may please follow below instructions:

Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Company at investors@aplapollo.com and/or RTA email at rta@abhipra.com Demat shareholders - Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP)

f you have any queries or issues regarding e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no: 1800 21 09911. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013. For APL Apollo Tubes Limited

Vipul Jain

# INDUS TOWERS LIMITED

Regd. Office: Building No. 10, Tower-A, 4" Floor, DLF Cyber City, Gurugram-122002, Haryana

CIN: L64201HR2006PLC073821

Tel: +91-124-4296766, Fax: +91-124-4289333 Email id: compliance.officer@industowers.com Website: www.industowers.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT/ E-VOTING

#### Notice is hereby given in terms of the provisions of Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies

Act. 2013 ('the Act') read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ('the Rules') (including any statutory modification(s), clarification(s), substitution(s) or reenactment(s) thereof for the time being in force) and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (the 'Listing Regulations'), Circulars issued by Securities and Exchange Board of India, as applicable ('SEBI Circulars'), and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') for holding general meetings/ conducting postal ballot process through e-voting vide General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 08, 2021, 03/2022 dated May 05, 2022, 17/2022 dated December 28, 2022, 09/2023 dated September 25, 2023 and 09/2024 dated September 19, 2024 ("MCA Circulars'), that the resolutions, as set forth in the Notice, is proposed to be passed by the shareholders of Indus Towers Limited ('the Company') through postal ballot by way of electronic voting only ('Postal Ballot').

The Notice is available on the website of the Company (www.industowers.com), on the website of KFin (https://evoting.kfintech.com/) and on the website of National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com)

Shareholders are informed that:

Notice has been sent to the shareholders whose names appear in the Register of Shareholders/ Register of Beneficial Owners as on Thursday, December 19, 2024 ("Cut-off Date") and voting rights of the shareholders are reckoned as on the Cut-off Date In compliance with the MCA Circulars, Notice has been sent to all the

shareholders whose email ids are registered with the Company/ Depository Participants ('DP') and physical copies of the Notice, Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope are not being sent to the shareholders for this Postal Ballot. The Company has completed the dispatch of Notice through e-mails

on Saturday, December 21, 2024. Those shareholders who have not yet registered their email

addresses are requested to get their email addresses and mobile numbers registered by following the procedure specified in the Those shareholders who hold shares in physical form may avail

investor services, including registering of PAN, email address, bank details and other KYC details or changes/ update thereof by following the procedure specified in the Notice. Any shareholder who doesn't receive the Notice and is holding shares

as on the Cut-off Date may obtain the same by sending an e-mail at einward.ris@kfintech.com or compliance.officer@industowers.com The same can also be downloaded from the Company's website. The e-voting shall commence on Sunday, December 22, 2024 at

09:00 A.M. (IST) and end on Monday, January 20, 2025 at 05:00 P.M. (IST). The e-voting module shall be disabled by KFin for voting

The Scrutinizer shall submit his report within 2 (two) days, from the end of the e-voting to the Chairman or any other person authorised by him and thereafter, the Chairman or the authorised person shall

The result of the Postal Ballot along with Scrutinizer's Report will also be displayed on the Company's website (www.industowers.com), on the website of KFin (https://evoting.kfintech.com) and on the notice Board at the registered office of the Company. The results shall simultaneously be communicated to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed

In case of any query/ concern/ grievance, shareholders may refer the (i) e-voting user manual or (ii) Help & Frequently Asked Questions (FAQs) available at the downloads section of https://evoting.kfintech.com or contact Mr. Sankara Gokavarapu, Authorised Person - KFin Selenium Building, Tower- B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032, at toll-free number 1800-309-4001, or at email: evoting@kfintech.com or einward.ris@kfintech.com; or may write to the Company Secretary at compliance.officer@industowers.com.

For Indus Towers Limited

Samridhi Rodhe Date: December 21, 2024 Company Secretary & Compliance Officer

financialexp.epapr.in

Date: 21.12.2024

Place: Noida

(Company Secretary and Compliance Officer)

New Delhi

Place: Gurugram

जनसता

#### खुदरा परिसंपत्ति केंद्र : एक्सिस बैंक लि., एक्सिस हाउस, टॉक्र टी–2, द्वितीय तल, 1–14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा (उ.प्र.)-, निगमित कार्यालय : 'एक्सिस हाउस', ब्लॉक-बी, बॉम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड, पांडुरंग बुद्धकर मार्ग, वर्ली, मुंबई-400025, गंजीकृत कार्यालयः 'त्रिशूल', तृतीय तल, समर्थेश्वर मंदिर के सम्मुख, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, सरफॉएसि अधिनियम २००२ के अंतर्गत अधिग्रहण सूचना

जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **एक्सिस बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण ए पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित उक्त अघिनियम की घारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना निम्न वर्णित ऋणकर्ता(ओ)/ सह-ऋणकर्ता(ओ) / गारंटर(रों) / बंधककर्ता(ओं) को निर्गत की थी, जिसमें उन्हें सूचना में अंकितानुसार राशि का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों में प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। ऋणकर्ता(गण)/सह-ऋणकर्ता(गण)/गारंटर(गण)/ बंधककर्ता(गण), निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदृद्वारा ऋणकर्ता(ओ), सह-ऋणकर्ता(ओ) / गारंटर(रों) / बंधककर्ता(ओं) एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवर्रागत संपत्ति का अधिग्रहण, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की घारा 13(4) के अंतर्गत, उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, यहां इसमें निम्न वर्णित तिथियों पर, कर लिया है। ऋणकर्ता(ओं) / सह—ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) / बंधककर्ता(ओं) को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, **एक्सिस बैंक लिमिटेड** के प्रभाराधीन होगा। ऋणकर्ता(ओं) / सह—ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) / बंघककर्ता(ओं) का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय व संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का नाम:- 1. मेसर्स राधिका मिंट्स सी / ओ मोह गंज शैदा, उझानी कछला रोड, बदायूं यूपी 243639 अपनी प्रोपराइटर श्रीमती रुचि गुप्ता के माध्यम से मेसर्स राधिका मिंट्स सी/ओ हाउस नंबर 101, पूरन मांग सूचना की द्यारा (रू में) गल्ला मंडी के पास मोहल्ला भदवारगंज बदायूं यूपी 243639 अपनी प्रोपराइटर 31 जुलाई 2024 | 17-दिसंबर-2024 श्रीमती रुचि गप्ता के माध्यम से। रू. 2,46,32,838.18/-संपत्ति का विवरण:- संपत्ति संख्या 1 वह पूरा टुकड़ा और जमीन का पार्सल / (रुपये दो करोड़ छियालीस लाख गाटा संख्या 35 क्षेत्रफल 359.91 वर्ग मीटर मौजा बहादूर नगर परगना सोरन तहसील और जिला कासगंज में श्रीमती रुचि गुप्ता पत्नी संजय गुप्ता के नाम बत्तीस हजार आठ सौ अडतीस और पर। **पूर्व -** विलेख के अनुसार, **परिचम** - विलेख के अनुसार, **दक्षिण** - विलेख अनुसार, **उत्तर** – विलेख के अनुसार। उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का नामः- 2. श्रीमती रूचि गुप्ता पत्नी संजय गुप्ता | 31 जुलाई 2024 | 17-दिसंबर-2024 प्रोपराइटर मेसर्स राधिका मिंट्स सी / ओ हाउस नंबर 101, निकट पूरन गल्ला **ਦ**. 2,46,32,838.18 /-मण्डी मुहल्ला भदवारगंज बदायूँ अप 243639 3.मि. महेंद्र कुमार पुत्र चोखे लाल (रुपये दो करोड छियालीस लाख निवासी मकान नंबर 101, निकट पूरन गल्ला मंडी, मोहल्ला भदवारगंज, बदायूँ बत्तीस हजार आठ सौ अड़तीस और अठारह पैसे मात्र)

**गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरणः**- संपत्ति नंबर 2 वह सभी टुकड़ा और जमीन का टुकड़ा / खसरा नंबर 34 का हिस्सा क्षेत्रफल 51.789 वर्ग। एमटीआर. मौजा बहादुर नगर परगना सोरन तहसील और जिले में। कासगंज श्रीमती रुचि गुप्त पत्नी संजय गुप्ता के नाम पर। **पूर्व**- कर्म के अनुसार, **पश्चिम** कर्म के अनुसार, **दक्षिण**- कर्म के अनुसार, **उत्तर**- कर्म

ऊपर वर्णित ऋणकर्ता(ओं) / सह-ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) / बंधककर्ता(ओं) को एतदद्वारा राशि का प्रतिभुगतान करने के लिए एक 30 दिवसीय सूचना दी जाती है, अन्यथा बंधककृत संपत्तियों को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवसों के समापन हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी दिनाँक : 22/12/2024 स्थान : नोएडा एक्सिस बैंक लिभिटेड

#### कोटक महिद्रा बैक लिमिटेड शाखा कार्यालय : 7वां तल, भूखंड सं. 7, सेक्टर - 125, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201313

सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत

आप अर्थात निम्न वर्णित ऋणकर्ता और सह—ऋणकर्ताओं ने बैंक / वित्तीय संस्थान से ऋण(ऋणानेक) प्राप्त किए हैं, जिन्हें अधिव वरणात्मक रूप में यहां नीचे आपकी अचल संपत्तियों (प्रतिभृतियों) के बंधकीकरण द्वारा प्रकट किया गया है, और आप ऋष् हा प्रतिभुगतान करने में चूक कर चुके हैं। आपके द्वारा चूक किए जाने के फलस्वरूप, आपके ऋणों को अनिष्पादनीय परिसंपत्ति हे रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था तथा उक्त ऋण खातों को इससे संबद्ध समस्त अधिकारों, नामाधिकारों और हितों, लाभे देयराशियों, प्राप्यों के साथ यहां नीचे वर्णित एसाइनमेंट के पृथक विलेखों द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में एसाइन्ड कर दिया गया है, और अब बैंक ने उक्त एसाइनमेंट के अनुपालनानुसार और बकाया धनराशियों की वसूली करने के लि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) व अंतर्गत माँग सूचना निर्गत की थी, जिसकी विषयवस्तु को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार, आप तक सूचना पहुंचाने की वैकल्पिक सेवा के रूप में तथा उसके माध्यम से, यहां ऋणकर्ता, सह—ऋणकर्ताओं, प्रतिभूतियों, ऋणदाता, बकाया धनराशियों, धारा 13(2) के अंतर्गत प्रेषित माँग सूचना और उसके अंतर्गत अभ्यर्थित राशि के विवरण निम्नानुसार दिये गये हैं :

	ल संपत्ति विवरण		नाम, 2. एसाइनमेंट की तिथि वि, 4. बकाया देयराशि रु. में
श्री भवेंद्र झा पुत्र श्री बी.एस. झा और श्रीमती विनीता झा प श्री भवेंद्र झा और श्री मिनंदर झा, सभी का पता : डी—1 कृष्णा पार्क, देवली रोड, खान पुर, नई दिल्ली—110062 र सभी का दूसरा पता : डीएससी—120ए, डीएलएफ सा कोर्ट, साकेत, नई दिल्ली—110017 और श्री विनोद कुमार श्री बिजेंद्र सिंह, निवासी : 141 ए, द्वितीय तल, फ्लैट न 5, कृष्णा पार्क, खान पुर, नई दिल्ली—110062 और दूर पता यहां पर भी : 172/8, इग्नू रोड, नेब सराय एन: मकान नंबर 158, गांव मसोढ़ी जाटान, तहसील— रोहत हरियाणा — 124001	9, की दुका दुकड़ा अं एल.एफ. त्र साकेत, तर दिल्ली–1 प्लोर प् रा जिसका है। , फीट है।	न का वह पूरा रि भाग, जो डी. साउथ कोर्ट, नई 10017 में ग्राउंड रिश्त है, नेत्रफल 324 वर्ग बंघककर्ता का	लिमिटेड (पीएनबीएचएफएल) 2. 04.03.2023

स्वीकृत ऋण राशि : रु. 25,92,953 / – (पच्चीस लाख बयानंबे हजार नौ सौ तिरेपन रुपये मात्र) श्री इंद्रराज सिंह कठेरिया पुत्र श्री राम शंकर कठेरिया संपत्ति का वह पूरा दुकड़ा और भाग 1. पीएनबी हाउसिंग और श्री अविनाश सिंह कठेरिया पुत्र श्री राम शंकर जिसमें फ्लैट संख्या-जी02 है, जो फाइनेंस लिमिटेड कठेरिया, दोनों का पता : टीएफ — 10, ब्लॉक — ई, टाइप ई, ग्राउंड फ्लोर, रेजिजोन (पीएनबीएचएफएल) ईडब्ल्यूएस अपार्टमेंट, पालम विहार, गुरुग्राम, हरियाणा = 122017 और दोनों का दूसरा पता : 123 ए, और 234, मौजा कंडोली, मयूर विहार, 4. रू. 86,52,721/ आलोक नगर (कंजदादासपुर), पीओ इज्जत नगर, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, (छियासी लाख बावन बरेली, उत्तर प्रदेश- 243122 और दोनों का एक और उत्तराखंड- 248001 में स्थित है, हजार सात सौ इक्षीस पता : क्लाउडीवा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर जिसका क्षेत्रफल 1390 वर्ग फीट है, रुपये मात्र) 20.11.2024 150, उद्योग विहार, फेज-1, गुरुग्राम, हरयाणा - जिसमें अविभाजित आनुपातिक भूमि तक देय और उत्तराखंड –248001 ऋण खाता संख्या : HOU/JAN/0915/244072

122015 और दोनों का एक और पता : यूनिट नंबर ई और सामान्य सुविघाएं शामिल हैं। भुगतानयोग्य, 21.11.2024 जी02, जीएफ, टाइप ई, रेजिजोन रेजीडेंसी, मौजा बंघककर्ता का नाम : श्री इंद्रराज सिंह से पूर्ण भुगतान होने तक कंडोली, परगना, परवादून, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, कंटेरिया पुत्र श्री राम शंकर कंटेरिया लागू ब्याज सहित स्वीकृत ऋण राशि : रु. 38,18,754 / – (रुपये अड़तीस लाख अठारह हजार सात सौ चौवन मात्र)

आप ऋणकर्ता और सह—ऋणकर्ता / ओं को इसलिए निर्देश दिया जाता है कि इस सचना के 60 दिवसों की समयावधि में यहां इस उपरोक्त अंकित भावी ब्याज के साथ ऊपर अंकित माँगी गई राशि का पूर्ण भूगतान कर दें। भूगतान करने में विफल रहने प अबोहरताक्षरकर्ता जो हैं वे उपरोक्त–वर्णित प्रतिभृतियों को प्रवर्तित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने के लि बाध्य–विवश होंगे। आपका ध्यानाकर्षण अधिनियम की धारा 13 की उप–घारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है, जिसके आधार पर आपको उपर्युक्त प्रावधान में अनुबंधित अवधि के अंदर प्रतिगूत परिसंपत्ति को ऋणमुक्ति से छुड़वाने की स्वतंत्रता है।

कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार आपको, हमारी सहमति के बिना, उपरोक्त–संदर्भित प्रतिभूतियो को विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है। श्थान : दिल्ली / देहरादून, दिनाँक : 22—12—2024, कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी



## एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिभिटेड

सीआईएन : L74899DL1986PLC023443 पंजीकृत कार्यालय : 37, हरगोबिंद एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092 निगमित कार्यालय : एसजी सेंटर, प्लॉट नं 37-सी, ब्लॉक-बी, सेक्टर-132, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201304, दूरमाष : 91-120-6918000 ईमेल : investors@aplapollo.com, वेबसाइट : www.aplapollo.com

## पोस्टल बैलट की सूचना

एतदद्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और 110 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (संचयी रूप से "अधिनियम") के नियम 20 और 22 के साथ, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा आम बैठक पर जारी सचिवीय मानक ("एसएस–2") और अन्य लागू कानून और विनियम, यदि कोई हो, जिसमें वर्तमान में लागू कोई वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल है, के साथ पठित, के अनुसार, एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड ('कंपनी') अपने सदस्यों से दिनांकित 29 अक्टूबर, 2024 के पोस्टल बैलट नोटिस ("पोस्टल बैलट नोटिस") में निर्धारित विशेष प्रस्तावों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ("ई-वोटिंग/रिमोट ई-वोटिंग") के माध्यम से पारित करने के लिए अनुमोदन मांग रही है।

अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, अन्य बातों के साथ—साथ, सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के माध्यम से ई—वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलट प्रक्रिया का संचालन करने के लिए इस संबंध में जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पढ़ें, सबसे नया सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024, दिनांक 19 सितंबर, 2024 (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित), उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिमोट ई–वोटिंग के बारे में निर्देशों के साथ पोस्टल बैलट नोटिस भेजने की प्रक्रिया, जिनके ई–मेल पते कंपनी / रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') / डिपॉज़िटरी के साथ पंजीकृत हैं और जिनके नाम 13 दिसंबर, 2024 ("कट—ऑफ डेट") तक सदस्यों के रजिस्टर / लाभकारी मालिकों की सूची में दिखाई देते हैं, 21 दिसंबर 2024 को पूरा हो गया है। तदनुसार, पोस्टल बैलेट नोटिस और पोस्टल बैलेट फॉर्म की भौतिक प्रतियां सदस्यों को नहीं भेजी जा रही हैं। यह नोटिस कंपनी की वेबसाइट (www.aplapollo.com), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर भी उपलब्ध है।

सदस्य यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, पोस्टल बैलेट नोटिस में प्रस्तावित प्रस्ताव पर सदस्यों की सहमति / असहमति का संचार केवल रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से होगा।

सभी सदस्यों को सचित किया जाता है कि

(क) सभी शेयरधारकों के लिए ई—वोटिंग अवधि सोमवार, 23 दिसंबर, 2024 को सुबह 10:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और मंगलवार, 21 जनवरी, 2025 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी, चाहे वे भौतिक रूप में शेयर रखते हों या डीमैट रूप में। इसके बाद वोटिंग के लिए सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्युल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उक्त समय और तिथि के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) केवल वह व्यक्ति जिसका नाम कट—ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 13 दिसंबर, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, वह रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

(ग) यह नोटिस उन सभी सदस्यों को भेजा जा रहा है, जिनके नाम शुक्रवार, 13 दिसंबर, 2024 तक सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, उसे तदनुसार पोस्टल बैलेट नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से ही लेना चाहिए। घ) कंपनी ने श्री जतिन गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सदस्यता संख्या : एफसीएस 5651 सीओपी संख्या : 5236) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से संपूर्ण पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के संचालन के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

(ड.) पोस्टल बैलेट / ई—वोटिंग के परिणाम 23 जनवरी, 2025 को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे। जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ परिणाम कंपनी की वेबसाइट और सीडीएसएल की वेबसाइट पर रखे जाएंगे और उन स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों, जिन्होंने अपना ईमेल या केवाईसी विवरण अपडेट

नहीं किया है, से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में विवरण पंजीकृत / अपडेट करें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों, जिन्होंने अपना ईमेल या केवाईसी विवरण अपडेट नहीं किया है, से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स अभिप्र कैपिटल लिमिटेड के साथ निर्धारित फॉर्म आईएसआर–1 में उक्त विवरण पंजीकृत/अपडेट करें। सदस्यगण कंपनी की वेबसाइट https://aplapollo.com/downloads पर संबंधित फॉर्म एक्सेस कर सकते हैं। यदि आपने कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, तो आप

कृपया नीचे दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं : . भौतिक शेयरधारक– कृपया आवश्यक विवरण जैसे कि फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) कंपनी को investors@aplapollo.com पर ईमेल द्वारा और/या आरटीए को ईमेल

rta@abhipra/com पर प्रदान करें। डीमैट शेयरधारक – कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें।

यदि आपके पास सीडीएसएल ई–वोटिंग सिस्टम से ई–वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न पूछना है या आपकी कोई समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल), ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोवर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित की जा सकती हैं। कृते एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड

दिनाँक : 21-12-2024

स्थान : नोएडा

हस्ता. /-विपुल जैन (कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी)

खुदरा परिसंपत्ति केंद्र : एक्सिस बैंक लि., एक्सिस हाउस, टॉवर टी-2, द्वितीय तल, 1-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन्स विश्वटाउन, नोएडा (उ.प्र.)-, निगमित कार्यालय : 'एक्सिस हाउस', ब्लॉक-बी, बॉम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड, पांडुरंग बुद्रकर मार्ग, वर्ली, मुंबई-400025, पंजीकृत कार्यालय : 'त्रिशूल', तृतीय तल, समर्थेश्वर मंदिर के सम्मुख, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006

जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **एक्सिस बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण ए पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 व . साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना निम्न वर्णित ऋणकर्ता(ओं) / सह—ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) / बंधककर्ता(ओं) को निर्गत की थी, जिसमें उन्हें सूचना में अंकितानुसार राशि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों में प्रतिभूगतान करने को कहा गया था। ऋणकर्ता(गण) / सह-ऋणकर्ता(गण) / गारंटर(गण) / बंधककर्ता(गण), निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा ऋणकर्ता(ऑ)/ सह—ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) / बंधककर्ता(ओं) एवं जनसाधारण को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसग निम्न विवरणित संपत्ति का अधिग्रहण, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत तन्हें पटल्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत यहां इसमें निम्न वर्णित तिथियों पर कर लिया है। ऋणकर्ता(ओ)/सह—ऋणकर्ता(ओ)/ गारंटर(रों) / बंधककर्ता(ओं) को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन. एक्सिस बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा ऋणकर्ता(ऑ) / सह—ऋणकर्ता(ऑ) / गारंटर(रॉ) / बंधककर्ता(ऑ) का ध्यानाकर्षण प्रतिभृत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है। मांग सूचना की तिथि

उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता का नाम:- 1. मैसर्स बालाजी ट्रॉमा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड जिसका कार्यालय प्लॉट नंबर 734. हल्दौनी ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश 201308 में है, इसके निदेशक के माध्यम से 2. श्री मनोज भारद्वाज पुत्र मंगत राम निवासी फ्लैट नंबर ४, एस—103ए हू 🛮 25 सितंबर 2024 📗 18—दिसंबर—2024 सोसायटी, गुरजिंदर विहार गौतम बुद्ध नगर 201310 श्री मनोज भारद्वाज पुत्र रु. 4.29.79.256.15 (रुपये चार करोड मंगत राम प्लॉट नंबर 734, हल्दौनी ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर

संपत्ति का विवरणः— संपत्ति संख्या 1 खसरा नंबर 741 का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, गांव हल्दौनी, मेन रोड परगना और तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर युपी, माप 1500 वर्ग मीटर। याडर्स ईस्ट – डीड के अनुसार पेस्ट डीड के अनुसार, दक्षिण – डीड के अनुसार, उत्तर – डीड के अनुसार

मंगत राम मकान नंबर 101 हल्दौनी कुलेसरा, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश 201306 श्री उमेश कुमार भारद्वाज पुत्र मंगत राम प्लॉट नंबर 734, हल्दौनी ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश 201308 पर भी 25 सितंबर 2024 18—दिसंबर—2024 **रु. 4,29,79,256.15** (रुपये चार करोड़ संपत्ति का विवरणः – संपत्ति संख्या 2, खसरा नंबर 734 का वह टुकड़ा और

**उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता का नामः** 3. श्री उमेश कुमार भारद्वाज पुत्र

पार्सल गांव हल्दौनी, मेन रोड परगना और तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध **उ**प्पन एवं पंद्रह पैसे मात्र) नगर यूपी, माप 1864.7 वर्ग मीटर। मीटर पूर्व — डीड के अनुसार पश्चिम **ए. 3,80,95,253/**— हेतु एसबीबी सुरक्षित डीड के अनुसार दक्षिण – डीड के अनुसार, उत्तर – डीड के अनुसार अवधि ऋण खाता 919060097249969 और **रु. 48,84,003.15/—** हेतु एसबीबी

फ्रपर वर्णित ऋणकर्ता(ओ)/सह–ऋणकर्ता(ओ)/गारंटर(रों)/बंधककर्ता(ओं) को एतदृद्वारा राशि का प्रतिभुगतान करने के लिए एव 0 दिवसीय सूचना दी जाती है, अन्यथा बंधककृत संपत्तियों को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवसों के समापन पर, बेच दिया जाएगा। दिनाँक : 22/12/2024, स्थान : नोएडा प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लिमिटेड TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 11वां तल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई-400013, सीआईएन नं.: यू६७७१९०एमएच२००८पीएलसी१८७५५२

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु) (प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्ती परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अं प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तिय के प्रयोगांतर्गत एक मांग सूचना दिनांकित निम्न वर्णितानुसार निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ताओं को सूचन में अंकित राशि का, उक्त सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। ऋणकर्ता निर्धारित देयराशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति का लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, यहां इसमें निम्न संदर्भित एक राशि तथा निम्नांकित तिथि से इस राशि पर आकलित ब्याज एवं दांडिक ब्याज, शुल्कों, लागतों, इत्यादि हेत् टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम की धारा 13

ऋण खाता संख्या	<ul> <li>व अरे प्रावधानों की ओर</li> <li>दायित्वधारक(कों) / विधिक</li> <li>उत्तराधिकारी(रियों) /</li> <li>विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम</li> </ul>	माँग सूचना के अनुसार राशि	अधिग्रहण की तिथि
TCHIN03 50000100 085318, & TCHHL0 35000010 0085316	श्रीमती सीमा शर्मा (उद्यारकर्ता के रूप में) और श्री नवीन शर्मा, श्री आयुष शर्मा (सह—उद्यारकर्ता के रूप में)	रु. 16,70,050 /— ऋण खाता संख्या TCHHL0350000100085316 के अंतर्गत और रु. 69,466/— ऋण खाता संख्या TCHIN0350000100085318 के अंतर्गत अर्थात् कुल रु. 17,39,516/— (रुपये सत्रह लाख उनतालिस हजार पांच सौ सोलह मात्र) 09/09/2024 के अनुसार बकाया	19.12.2024

प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों का विवरण :- सं. 25 धारक आवासीय डीडीए फ्लैट के समस्त वह भाग तथा अंश जो प्रथम तल पर, श्रेणी एलआईजी के स्वरूप में, ब्लॉक- जी8, पॉकेट- 03 सेक्टर- जी8, डीडीए मार्किट, नरेला, नई दिल्ली- 110040 में स्थित है।

दिनाँक : 22-12-2024

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी स्थान : दिल्ली राराक्षे कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

SMFG

Grihashakti

एनडीटी टेड हाउस प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में) परिसमापन का पता: बी-572, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर-49, फरीदाबाद हरियाणा-121001, ई-मेल आईडी:-liq.ndttradehouse@gmail.com

ई-निलामी बिक्री सूचना एतद्द्वारा यह सूचना नीचे तालिका में वर्णित रूप में गोइंग कैसर्न के रूप में कॉर्पोरेट डेस्टर के

परिसम्पत्तियों की दिवाला तथा दिवालिया संहिता,2016 तथा उसके अंतर्गत विनियमन के अंतर्गत बिक्री के लिये आम जनता को दी जाती है जो बिक्री सेवा प्रदाता मै. ई-प्रॉक्योमन्ट टेक्नोलॉजीस लिमिटेड (Auction Tiger) द्वारा वेबसाईट http://www.auctiontiger.in ई-निलामी की तिथि एवं समय शुक्रवार,10.01.2025 को 1.00 बजे अप. 2.00 बजे अप. के बीच ईएमडी जमा करने की 08.01.2025 को 5.00 बजे अप. से पूर्व

निरीक्ष	ाण की तिथि एवं समय 16.01.2025 को 11.00 व निरीक्षण के लिये संपर्क	•		
लॉट नं.	विवरण	संरक्षित मूल (लाख में)	ईएमडी (रू) (लाख में)	बोली वृद्धि (लाख में)
1,	संपूर्ण यूनिट (गोइंग कंसर्न के रूप में) जिसमें शमिल हैं भूमि एवं भवन जिसका निर्माता एरिया 823 वर्ग मीटर हैं जो खाता सं 71/76, मुस्टिल नं-51, किल्ला नं 13/3/1/2 (2-0),ग्राम मितरोल,तहसील होडल जिला पलवल हरियाणा में स्थित है तथा प्लांट एवं मशीनरी जो मूल रूर से आटा प्लांट है	है। है। / न	14.1	2

इच्छुक बोलीदाता जो एनडीटी ट्रेड हाउस प्राईवेट लिमिटेड जिसका खाता संख्या 923020016427718 तथा आईएफएससी कोड UTIB0004305 है, की खाता में 08.01.2025 को या पूर्व में एनईएफटी। आरटीजीएस द्वारा

ईएमडी (प्रतिदेय) का भुगतान करना होगा। ई-नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये http://www.ncltauctiontiger.net पर उपलब्ध निविदा दस्तावेज देखेः **ई-नीलामी से संबंधित किसी भी पृछताछ के लिये संपर्क करें** : श्री प्रवीण कुमार थेवर

(एम:6351896834) अथवा praveen.thevar@autinotiger.net अथवा परिसमापक से उनके ई-मेल: liq.ndttradehouse@gmail.com एवं मोबाइल नं 9810549696 पर संपर्क करें संपर्क व्यक्ति श्री राकेश भाटियाः 9310278000

अरूण गजवानी एनडीटी ट्रेड हाउस प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापक में) के परिसमापक -आईपी पंजीकृत संख्या IBPI/IPA-002/IP-NOOO568/2019-18/17724

एफए नं: AA2/11724/171224/02/203142

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

(पूर्ववर्ती फुलरटन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेस कंपनी लिमिटेड

(पूर्ववर्ती फुलरटन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)

निगमित कार्यालयः 503 एवं 504, 5वां तल, जी-ब्लॉक, इंसाइप्रि बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ल कॉम्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई-400051

युको बैंक 🔞 UCO BANK (मारत सरकार का समझन) (A Govt. of India Undertaking)

सम्मान जापके विश्वास का

शाखा का पता : गाजियाबाद (0850) 3-एच/2, राकेश मार्ग, नेहरू नगर, गाजियाबाद यूपी दूरभाष : 0120-2700546 / 413649, ईमेल : ghazia@ucobank.co.in

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु) जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक माँग सूचना दिनाँकित 12/03/2024 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ता मैसर्स रोहतास ऑर्गेनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कार्यालय |सी—1, यूपीएसआईडीसी, एमजी रोड, मसूरी, उत्तर प्रदेश 245101, इसके निदेशकों श्री लक्ष्मीकांत ठाकुर और सुश्री रानी ठाकुर निवासी 401, श्री राम रेजीडेंसी, प्लॉट नंबर 01, अहिंसा खंड ।।, इंदिरापुरम, उत्तर प्रदेश 201014 के माध्यम से, को सूचना में अंकित राशि रु. 1,53,83,483.42 / — (रुपये एक करोड़ तिरेपन लाख तिरासी हजार चार सौ तिरासी और बयालीस पैसे मात्र) तथा 28/02/2024 से राशि पर नियत ब्याज एवं शुल्कों का, सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

मांग सूचना की राशि (रू में)

उनतीस लाख उन्यासी हजार दो सौ

छप्पन एवं पंद्रह पैसे मात्र)

**रु. 3,80,95,253/—** हेतु एसबीबी

पुरक्षित अवधि ऋण खाता

919060097249969 और

रु. 48,84,003.15 / — हेतु एसबीबी

ओवरडाफ्ट खाता 919030097249997

मांग सूचना की तिथि

कब्जा की तिथि

मांग सूचना की राशि (रू में)

चूंकि ऋणकर्ता / गारंटर निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदुद्वारा ऋणकर्ता / गारंटर को तथा जनसाधारण को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहाँ इसमें निम्न विवरणित संपत्तियों / परिसंपत्तियों का, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 20/12/2024 को, अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता / गारंटर को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदृद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि उक्त संपत्ति / परिसंपत्तियों का लेन—देन न करें तथा संपत्ति / परिसंपत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन—देन, रु. 1,53,83,483.42 /— (रुपये एक करोड़ तिरेपन लाख तिरासी हजार चार सौ तिरासी और बयालीस पैसे मात्र) की एक राशि और 28/02/2024 से इस राशि पर नियत ब्याज व शुल्कों हेतु राकेश मार्ग, नेहरू नगर, उत्तर प्रदेश शाखा, यूको बैंक के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट अचल संपत्ति का विवरण

उस औद्योगिक संपत्ति का समतुल्य बंधक जो सी–1, फेज ।।।, यूपीएसआईडीसी एम जी रोड, औद्योगिक क्षेत्र, जनपद हापुड़, उत्तर प्रदेश 245101 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :- पूर्व- 18 मीटर चौडी सड़क सं. 04, पश्चिम- प्लॉट नं. सी-48, उत्तर- प्लॉट नं. सी-2, दक्षिण- 18 मीटर चौडी सड़क सं. 09

दिनाँक : 20/12/2024, स्थान : गाजियाबाद (हस्ता./-), प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक

# SBFC

एसबीएफसी फाइनांस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नं. 103, प्रथम् तल, सीएंडबी स्ववॉयर, संगम कॉम्प्लैक्स, ग्राम चकला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई-400059

कब्जा सूचना (प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(2) के अनुसार)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एसबीएफसी फाइनांस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक/सह-ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/सह-ऋणधारक तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि नीचे वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय एसबीएफसी फाइनांस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

	का ज्यवसाय एसबाएकसा काशास स्थानटड के पांच के जवान होगा।		
	ऋणधारकों का नाम एवं पता एवं मांग सूचना तिथि	सम्पत्ति (यों ) का विवरण एवं कब्जा की तिथि	कब्जा सूचना में मांग की गई राशि (रु.)
	<ol> <li>पंकज कुमार, 2. नरेश कुमार सिंह</li> <li>राम देवी, 4. कौशलेन्द्र, 5. नेहा पाल</li> </ol>	मोहल्ला सुभाष नगर, तिलक कॉलोनी, तहसील एवं जिला बरैली में स्थित सम्पत्ति, मकान, माप 150 वर्ग	3 अक्टूबर, 2024 को रु. 20,72,348/-
	<b>सभी का पता</b> : 1211, तिलक कॉलोनी, सुभाष नगर, शिव मंदिर के निकट, बरेली, उत्तर प्रदेश-243001.	यार्ड्स अर्थात् 125.14 वर्ग मी. (269.40 वर्ग मी. कवर्ड एरिया) का सभी भाग तथा हिस्सा तथा सम्पत्ति	(रु. बीस लाख बहत्तर हजार तीन सौ
	मांग सूचना तिथि: 5 अक्टू. 2024	की चौहदीः उत्तरः रोड, दक्षिणः रोड, पूर्वः रामलाल का	अड़तालिस मात्र)
	ऋण सं.: 4021060000158655 (PR01110713)	मकान, पश्चिमः मुंशी लाल का मकान	
- 1		7 . 17	2 2 0 0 0 0

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। स्थानः बरेली हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी) तिथि: 22.12.2024 एसबीएफसी फाइनांस लिमिटेड

# SBFC

एसबीएफसी फाइनेंस लिभिटेड पंजीकृत कार्यालय:- यूनिट नंबर 103, प्रथम तल, सी एंड बी स्क्वायर, संगम

कब्जा नोटिस में मांगी गई

राशि (रु.मे )

रु. 31,22,107 / −

(रुपये इकतीस लाख बाईस

हजार एक सौ सात मात्र)

14 सितम्बर 2024 तक

कब्जा सूचना (सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(2) के अनुसार)

कॉम्प्लेक्स, ग्राम चकला, अंधेरी-कुर्लारोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059

जबिक अधोहस्ताक्षरी सुरक्षाकरण, वित्तीय संपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के रूप में और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 2002 के तहत उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं पर डिमांड नोटिस जारी किया है जिसमे यह कहा गया है कि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि चुकानी होगी।

उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता और आम जनता को कोई सूचना नहीं दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित नीचे दी गई विशेष रूप से उधारकर्ता / सह-उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी

लेन-देन एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का नाम और पता और मांग नोटिस की तारीख	संपत्ति(यों) का विवरण और कब्जे की तारीख	
1. ए बी गारमेंट्स, जिसका पता है, दुकान नं. 68, नगर निगम संख्या 184/37—ए, जवाहर क्वार्टर, लाल कुर्ती, मेरठ, उत्तर प्रदेश—250001,2. मोहम्मद इरशाद, जिसका पता है, एच. नं. 1080, सराय बेहलीम, मेरठ सिटी, मेरठ, उत्तर प्रदेश—250002,3. नाजरीन, जिसका पता है, एच. नं. 611, सराय बेहलीम, शोराब गेट, मेरठ सिटी, मेरठ, उत्तर प्रदेश—250002। डिमांड नोटिस की तिथि: 16 सितंबर 2024 ऋण संख्या 45026(PR00923446) और 4021060000147505 (PR01127543)	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जो फड़ संख्या 68 है, नगर निगम संख्या 184/37-ए, 7.77 वर्ग मीटर माप, जवाहर क्वार्टर, सिविल लाइंस, मेरठ में स्थित है और दिनांक 26.02.2001 के बिक्री विलेख के अनुसार सीमाबद्ध है, का उल्लेख नीचे किया गया है- पूर्व - 9 फीट/रास्ता, पश्चिम- 9 फीट/फड़ संख्या 64 नूर इलाही के मालिक, उत्तर- 9 फीट 3 इंच/फड़ संख्या 67 इरशाद और अन्य के मालिक, दक्षिण- 9 फीट 3 इंच/फड़ संख्या 69 मोहम्मद शहजाद के मालिक। कब्जे की तिथिः 20 दिसंबर 2024	
स्रक्षित संपत्तियों को भूनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता व	का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (8) के प्रावधानों की	ओ

हस्ता/— (प्राधिकृत अधिकारी) एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड। स्थान – मेरठ दिनांक **— 22—12—202**4

ORIX

स्थान ः हरियाणा

ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेन इंडिया लिभिटेड (पूर्व में ओएआईएस ऑटो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) (ओरिक्स ऑटो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)

पंजीकृत कार्यालय : भूखंड सं. ९४, मरोल को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, अंधेरी-कुर्ल रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०५९ दरभाष : +1 22 2859 5093 / 6707 0100, फैक्स : +91 22 2852 8549 ईमेल : info@orixindia.com | www.orixindia.com | सीआईएन : यु74900एमएच2006पीएलसी 163937

(वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन

अधिनियम २००२ की धारा 13 (२) के अंतर्गत सूचना)

निम्नलिखित ऋणकर्ताओं एवं सह-ऋणकर्ताओं ने **ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड** से निम्नवर्णित प्रतिभूत ऋण प्राप्त किए थे। निम्नवर्णित ऋणकर्ताओं के ऋणों को उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा प्रतिभूत किया गया है। चूंकि वे संबंधित ऋणानुबंधों के नियमों एवं शर्तों का पालन करने में विफल हो चुके थे और अनियमित बन चुके थे, अतः उनके ऋणों को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। इस प्रकार उनकी ओर से **ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड** को देय–भुग्तेय बकाया राशियां जो हैं वे उन संबंधित निर्गत सूचनाओं के अनुसार अंकित हैं, जिन्हें अधिक विशिष्ट रूप में निम्नलिखित तालिका में विवरणित किया गया है तथा उक्त राशियों पर भावी ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी संबंधित तिथियों से प्रभावी संविदागत दर के अनुसार प्रभारित होगा।

क्र.	ऋण खाता	ऋण का	ऋणकर्ताओं	13(2) सूचना	सूचना	प्रतिभूत परिसंपत्ति
सं.	संख्या	प्रकार	के नाम	के अनुसार	तिथि	के विवरण
				बकाया		
1.	LN0000000020054	एसएमई	1. मैसर्स राहुल	रू.	17.12.2024	संपूर्ण प्रथम तल के समस्त वह भाग तथा अंश,
		प्रतिभूत	बिलिंडग मटेरियल	54,72,573.34/-		जिसका कवर्ड एरिया 129.824 वर्ग मीटर लगभग
		ऋण	कैरियर			(1397.54 वर्ग फीट) है जिसमें लॉबी, रसोई, भोजन
			2. मैसर्स एआरवी			क्षेत्र, तीन शयन कक्ष, तीन शौचालय, ड्रेस शामिल हैं,
			एंटरप्राइजेज			जो स्टिल्ट / ग्राउंड फ्लोर पर आनुपातिक हिस्से के
			3. हेमंत यादव			साथ–साथ टेरेस फ्लोर पर, अविभाजित, अविभाज्य
			(स्वर्गीय राजेश			और आनुपातिक 1/4 हिस्से के साथ आवासीय प्लॉट
			कुमार यादव के			नंबर ६, स्ट्रीट नंबर टाउ.—003, सेरेनिटी एन्क्लेव—एवेन्यू
			उपलब्ध कानूनी			आवासीय कॉलोनी में स्थित है जिसे वाटिका इंडिया
			उत्तराधिकारी की			नेक्स्ट जाना जाता है, सेक्टर–84 में गांवों सिही,
			क्षमता में)			सिकंदरपुर बढ़ा, शिकोहपुर, <b>तहसीलः</b> मानेसर, <b>जिलाः</b>
			4. हेमंत यादव			गुरुग्राम, हरियाणा— 122004 और उसके आसपास
			<b>1.</b> 0 10 4144			स्थित है और पूरा प्लॉट इस प्रकार घिरा हुआ है:
						पूर्वः अन्य प्लॉट, परिचमः सड़क, उत्तरः सड़क,
						<b>दक्षिणः</b> अन्य प्लॉट।
	, ,,,,		0 000	1 0 11	. 20	00' %0 GO 'O OO

आपको एतदुद्वारा निर्देश दिया जाता है कि इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों के अंदर **ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिभिटेड** को देय-भुग्तेय उपरोक्त तालिका में निदर्शित विवरणों के अनुसार बकाया राशियों का उनकी संबंधित तिथियों से उन पर ब्याज की संविदाकृत दर पर आकलित ब्याज एवं अन्य लागतों, शुल्कों, इत्यादि के साथ भुगतान करें। भुगतान करने में विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता, **ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाइलेंशियल सर्विसेज इंडिया** िक्रिकेटेड को देय-भुग्तेय राशि की वसुली करने के लिए यहाँ इसमें उपरोक्त वर्णित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(4) एवं धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाहियां आरंभ करने को बाध्य–विवश होंगे। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जाता है कि आप उक्त प्रतिभृत परिसंपत्ति का विक्रय / पटटा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। दिनाँक : 17-12-2024 प्राधिकृत अधिकारी

ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड

www.readwhere.com

जबिक. अधोहस्ताक्षरकर्ता ने एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्ववर्ती फुलरटन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड), एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ख्राष्ट्रीय आवासन बैंक के साथ विधिवत पंजीकृत (आरबीआई द्वारा पूर्णतः स्वामित्वकृत), (यहां इसमें इसके उपरांत ''एसएमएचएफसी'' के रूप में संदर्भित), के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनयम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित निम्नांकित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत की थी, जिसमें आप ऋणकर्ताओं (नाम नीचे वर्णित हैं) को उक्त सूचना में अंकित राशि तथा राशि पर नियत ब्याज का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। यहां इसमें निम्न वर्णित ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा यहां इसमें निम्न वर्णित ऋणकर्ताओं को और जनसाधारण को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का. प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत अधिग्रहण कर लिया है। यहां इसमें उपरोक्त वर्णित ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्यतय सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, यहां इसमें निम्नांकितानुसार एक राशि तथा इस राशि नियत

ंपंजीकृत कार्यालय : भेघ टॉवर्स, तृतीय तल, पुरानी सं. 307, नई सं.165, पूनामल्ली हाई रोड, मदुरावोयल, चेन्नई- 600 095

अचल संपत्ति की अधिवाहण सूचना [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 21.12.2024

क्र. सं.	ऋणकर्ता(ओं) /गारंटर(रों) के नाम, एलएएन		मांग सूचना तिथि एवं राशि	अधिग्रहण की तिथि			
1.	एलएएन: 611239210973345 1.सुखदेव सिंह, पुत्र करतार सिंह 2. हरजीत कौर	गांव असंघ में स्थित खसरा नंबर 1584(1—18) में शामिल संपत्ति का क्षेत्रफल 60 वर्ग गज यानि 120 वर्ग गज में से 2 मरला, लगभग यानि 1 कनाल में से 4 मरला यानि 4.38 हिस्सा, 18 मरला खेवट नंबर 905 है।	10.01.2024 तक रु.	19.12.2024			
स्थार	हस्ताः/- स्वानः करमल, हरियाणा प्राविकृत अविकारी						

SBFC

दिनांक : 19.12.2024

ब्याज हेत् ''एसएमएचएफसी'' के प्रभाराधीन होगा।

सबीएफसी फाइनेंस लिभिटेड पंजीकृत कार्यालय:- यूनिट नंबर 103, प्रथम तल, सी एंड बी स्क्वायर, संगम कॉम्प्लेक्स, ग्राम चकला, अंधेरी-कुर्लारोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059

कब्जा सुचना (सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के नियम ८(२) के अनुसार)

जबिक अधोहस्ताक्षरी सुरक्षाकरण, वित्तीय संपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत **एसबीएफसी फाइजेंस लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होने के रूप मे और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 2002 के तहत उधारकर्ताओं / सह—उधारकर्ताओं पर डिमांड नोटिस जारी किया है जिसमे यह कहा गया है कि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के मीतर नोटिस में उल्लिखित राशि चुकानी होगी। उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता और आम जनता को कोई सूचना नहीं दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित नीचे दी गई तारीखों कब्जा

विशेष रूप से उधारकर्ता / सह-उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन

एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।		•
उधारकर्ताओं का नाम और पता	संपत्ति(यों) का विवरण और	कब्जा नोटिस में मांगी गई
और मांग नोटिस की तारीख	कब्जे की तारीख	राशि (रू.मे )
1. मैसर्स गंगाषर ओमप्रकारा,	नगर पंचायत संख्या 189/2 के अंतर्गत आने वाली वह	
पता है, शाहगढ़ कोडियागंज चौराहा, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश— 202129,	समस्त संपत्ति जिसका क्षेत्रफल 93 वर्ग गज या 837 वर्ग	(रुपये बीस लाख सैंतीस हजार
2. रजनीश गौतम, 3. सविता, नंबर 2 और नंबर 3, जिनका पता है,	फीट है, कस्बा कौड़ियागंज, तहसील कोइल, जिला	तीन सौ छियालीस मात्र)
शाहगढ़ कोडियागंज चौराहा, वार्ड नंबर 6, अलीगढ़,	अलीगढ़ में स्थित है तथा जिसकी सीमा निम्नलिखित है—	3 अक्टूबर २०२४ तक
उत्तर प्रदेश— 202129 .	<b>उत्तर</b> – साबू खान, <b>दक्षिण</b> – 16' चौड़ी सड़क, <b>पूर्व</b> – नाथू	
डिमांड नोटिस की तिथिः ५ अक्टूबर २०२४	राम की दुकान, परिचम- दिनेश वर्मा की दुकान। कब्जे	
ऋण क्रमांक 4021060000204675 (PR01190523)	की तिथिः 18 दिसंबर 2024	

सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उचारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावचानों की ओर आकर्षित किया जाता है। स्थान - अलीगढ़ हस्ता/- (प्राधिकृत अधिकारी) दिनांक - 21-12-2024 एसबीएफसी फाइनेंस लिभिटेड।

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

APRIGLOBAL पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय :- 502, टावर-ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, सर्किल कार्यालय :- 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060

परिशिष्ट IV कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) जबिक, अधोहस्ताक्षरी ने **कैप्री व्लोबल कैपिटल लिमिटेड** (सीजीसीएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का

प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) को नीचे दिए विवरण के अनुसार मांग सूचना(एं) जारी की थीं, जिनमें उनसे सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है। कर्जदारों को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार कर्जदारों पर सीजीसीएल की बकाया राशि तथा उस पर ब्याज का भूगतान करने के बाद ही किया जा सकता है।

प्रत्याभूत आस्ति का वर्णन

(अचल सम्पत्ति)

1.	(ऋण खाता संख्या	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : आवासीय प्लॉट के	27-09-2024	17-12-2024
П	LNCGCMAYTL0000006352 (पुराना)	रूप में भूमि और भवन, क्षेत्रफल परिमाप 96 वर्ग गज		
П	80500005461382 (नया)	(यानी 80.265 वर्ग मीटर), खसरा नंबर 56 का भाग,		
П	मयूर विहार शाखा )	स्थित : ग्राम सदरपुर, तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्ध		
П	मैसर्स सैनी ब्रदर्स (इसके खामी के माध्यम से) (कर्जदार)	नगर, उत्तर प्रदेश-201303 चौहददी निम्नानुसार : पूर	<b>ब</b> : 12 फीट चौड़ी	रोड, <b>परिचम</b> ः
П	हीरा लाल सैनी, ऋषिपाल उर्फ श्री ऋषि पाल सैनी,	तारा चंद का प्लॉट, उत्तर: किशन लाल का मकान,	<b>दक्षिण</b> ः महेश का	प्लॉट
П	श्रीमती संतोष, मैसर्स सैनी कम्युनिकेशन (इसके			
	स्वामी के माध्यम से) (सह-कर्जदार)			
स्थ	ान : दिल्ली/एनसीआर      तिथि : 22-12-2024	हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी) वास्ते कैप्री ग्लं	जेबल कैपिटल लिमिट	टेड (सीजीसीएल)

SBFC

उधारकर्ताओं का नाम और पता

कर्जदार(रों)/गारंटर(रों)

स्थान – गाजियाबाद

दिनांक - 22-12-2024

एसबीएफसी फाइनेंस लिभिटेड पंजीकृत कार्यालय:- यूनिट नंबर 103, प्रथम तल, सी एंड बी स्क्वायर, संगम कॉम्प्लेक्स, ग्राम चकला, अंधेरी-कुलरिंड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059

कब्जा की

तिथि

कब्जा नोटिस में मांगी गई

हस्ता/-(प्राधिकृत अधिकारी)

एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड।

तिथि और राशि

कब्जा सूचना (सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(2) के अनुसार)

संपत्ति(यों) का विवरण और

जबिक अधोहस्ताक्षरी सुरक्षाकरण, वित्तीय संपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के रूप में और संस्क्षा हित (प्रवर्तन) के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 2002 के तहत उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं पर डिमांड नोटिस जारी किया है जिसमे यह कहा गया है कि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता और आम जनता को कोई सूचना नहीं दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता

ने उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित नीचे दी गई विशेष रूप से उधारकर्ता / सह-उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

O STATE OF THE STATE OF THE	(111(4)) 41 144(1 61)	4.0011 1110 11 11 114
और मांग नोटिस की तारीख	कब्जे की तारीख	राशि (रु.मे )
1. मनवीर चौधरी बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स,	फ्लैट नंबर बी–1 वाली संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा, पहली	रु. 20,27,438 ∕ −
जिसका पता है, खसरा नंबर 1260, गांव रईसपुर, सदरपुर रोड,	मंजिल के पीछे के हिस्से में बिना छत के, 71.068 वर्ग	(रुपये बीस लाख सत्ताईस
अक्षय फार्म हाउस के पास, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201002,	मीटर में फैला हुआ, खसरा नंबर 1066, जीत अपार्टमेंट,	हजार चार सौ अड़तीस
2. मनवीर सिंह, 3. सविता, नंबर 2 और नंबर 3, जिसका पता है,	सेक्टर 23, संजय नगर, गांव धरगल, परगना जलालाबाद,	मात्र)
फ्लैट नंबर बी-1, पहली मंजिल, जीत अपार्टमेंट, सेक्टर-23,	तहसील और जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में स्थित है	3 अक्टूबर 2024 तक
संजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश– 201102।	और संपत्ति की सीमा निम्नानुसार है— पूर्व— सड़क 18	
डिमांड नोटिस की तिथिः 5 अक्टूबर 2024	फीट, पश्चिम– अशोक की संपत्ति, उत्तर– पोपी चौधरी की	
ऋण संख्या 4021060000141876 (PR01075347)	संपत्ति, दक्षिण— सड़क 35 फीट।	
,	कब्जे की तिथिः 19 दिसंबर 2024	
1. अंकुर प्रोविजन स्टोर,	संपत्ति का वह टुकड़ा जिसका एच. नं. 71 है, जिसका माप	
जिसका पता है, साईं मंदिर के पास, हनुमानपुरी, गाजियाबाद,	100 वर्ग गज है, अर्थात 83.61 वर्ग मीटर, मोहल्ला हनुमानपुरी,	इक्कीस लाख पाँच हजार
उत्तर प्रदेश— 201204, 2. अंकुर शर्मा, 3. सुनीता शर्मा, 4. मीनक्षी	परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद में	पाँच सौ तेरह मात्र)
शर्मा, 5. राहुल शर्मा, नंबर 2 से नंबर 5 जिसका पता है, साईं	स्थित है। तथा संपत्ति की सीमा इस प्रकार है– उत्तर– दूसरों	3 अक्टूबर 2024 तक
मंदिर के पास, हनुमानपुरी, मोदीनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-	का मकान, दक्षिण– दूसरों की संपत्ति, पूर्व– किशन लाल	
201204। डिमांड नोटिस की तिथिः 5 अक्टूबर 2024	आदि का खेत, पश्चिम— 15 फीट चौड़ा रास्ता।	
ऋण संख्या 4021060000070267 (PR00912651)	कब्जे की तिथिः 20 दिसंबर 2024	
सरक्षित संपत्तियों को भनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता	का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की	ओर आकर्षित किया जाता है।